न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 109/2019

1. महावीर आयु 38 साल
2. महेन्द्र सुमन आयु 31 साल पिसरान अणदीलाल जाति माली निवासी गुडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादीगण

बनाम

1. अणदा उर्फ अणदीलाल आयु 60 साल आ0 श्री कल्याण जाति माली निवासी गुडली तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. शाखा प्रबंधक बडौदा राज. ग्रामीण बैंक शाखा ईश्वर नगर
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वाद :—अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :—

1. वादी की और से श्री उमा शंकर नागर, एडवोकेट
2. प्रति0 सं0 1 की और से श्री मनीष सेन, एडवोकेट।

—: निर्णय :—

दिनांक —13.08.2019

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 08.07.2019 को यह वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नई 160 की कृषि भूमि ख.सं. 254 रकबा 0.02 है0, ख.सं. 426 रकबा 0.21 है0, ख.सं. 592 रकबा 0.76 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम व माल

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

मिलान किया

Scanned by CamScanner

गुड़ली पटवार क्षेत्र गुड़ली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है। आराजी खाता सं. नई 130 की कृषि भूमि ख.सं. 498 रकबा 0.48 है0 वाके ग्राम व माल गुड़ला पटवार क्षेत्र गुड़ली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में विरस्थित है। मूल पुरूष कल्याण है जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके पुत्र प्रतिवादी सं. 1 अणदा उर्फ अणदीलाल है तथा वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के पुत्रगण है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पैत्रक कृषि भूमि है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जिसमें वर्तमान समय में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि उक्त कृषि भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है अर्थात प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगणों को बंटवारा एवं कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक प्रत्येक को 1/3–1/3 कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अमल दरामद किया जावे, विकल्प में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को सहखातेदार घोषित किया जावे।

3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से दिनांक 07.08.2019 को राजीनामा पेश किया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 07.08.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या नई 160 की कृषि भूमि ख.सं. 254 रकबा 0.02 है0, ख.सं. 426 रकबा 0.21 है0, ख.सं. 592 रकबा 0.76 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम व माल गुड़ली पटवार क्षेत्र गुड़ली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, आराजी. खाता सं. नई 130 की कृषि भूमि ख.सं. 498 रकबा 0.48 है0

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

मिलान किया
पढ़ा सुना

वाके ग्राम व माल गुड़ला पटवार क्षैत्र गुड़ली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में वादीगणों को 1/3–1/3 हिस्से के सहखातेदार घोषित किये जाते है व प्रतिवादी सं. 1, 1/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज रहेगा। रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केश्वरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/8/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवराय पाटन

उपखण्ड अधिकारी के० पाटन

सत्य प्रतिलिपि
रीडर
उपखण्ड अधिकारी के० पाटन

मिलान किया

FOR COPYING FEES ONLY
ONE RUPEE
INDIA भारत
COURT FEE
कोर्ट फ़ी
Re.1